भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4846
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

4846. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशभर में और विशेषकर कर्नाटक में वीर्य केन्द्रों, बुल मदर फार्मों और दूध दुहने की स्वचालित सुविधाओं की स्थापना सहित देशी गोपशुओं के प्रजनन के लिए अवसंरचना का विस्तार करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सीमांत किसानों और डेयरी सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं तथा दूध उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में इससे कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशी नस्लों से प्राप्त मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहल की जा रही है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की क्या भूमिका है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) देशी गोपशु प्रजनन संबंधी अवसरंचना को बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए, भारत सरकार ने देशी गोपशु प्रजनन हेतु अवसरंचना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण: वीर्य उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाने के लिए वीर्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं। अब तक देश में 47 वीर्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां स्वीकृत की गई है।

(ii) सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा: देश में 90% सटीकता तक केवल बछियों के उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन की सुविधा सृजित की गई है। सरकारी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश) में पाँच सीमन स्टेशन परिचालनरत हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सहायता प्राप्त सरकारी सीमन स्टेशनों पर अब तक सेक्स सॉर्टेड सीमन की 58.67 लाख खुराकों का उत्पादन किया जा चुका है।

(iii) आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थापना: भारत में पहली बार, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए बोवाइन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश भर में देशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। अब तक 25895 भ्रूणों का उत्पादन, 14145 भ्रूणों का हस्तांतरण और 2105 बछड़ें-बछियों का उत्पादन किया गया है।

(iv) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है तथा अब तक देश में 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा चुका है।

(v) गोकुल ग्राम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी बोवाइन नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से 16 "गोकुल ग्राम" स्थापित करने के लिए निधियां जारी

की हैं। संशोधित पुनर्संरेखित राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के तहत इस कार्यकलाप को बंद कर दिया गया है।

(vi) राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र: पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देशी बोवाइन नस्लों के जर्मप्लाज्म के भंडार के रूप में तथा वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किरतपुर, इटारसी में और दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के चिंतालादेवी में की गई है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वित्तपोषित अवसरंचना परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) इस योजना के तहत डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों सहित छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए शुरू किए गए विशिष्ट उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और देशी बोवाइन नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के वीर्य का उपयोग करके किसानों के द्वार पर निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान करना है।

(ii) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (एबीआईपी)

(क) सेक्स सॉर्टेड सीमन: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। डेयरी में लगे छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन उपलब्ध है। हाल ही में देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक शुरू की गई है और इस तकनीक से सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत 800 रुपये से घटकर 250 रुपये प्रति खुराक रह जाएगी।

(ख) आईवीएफ तकनीक: भारत में पहली बार, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए बोवाइन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था पर 21,000 रु. की कुल लागत में से 5,000 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रति सुनिश्चित गर्भाधान प्रदान की जाती है।

(iii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है।

(iv) देशी रूप से विकसित जीनोमिक चिप का शुभारंभ: पहली बार, देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक जीनोमिक चिप विकसित और प्रारंभ की गई है। यह सामान्य जीनोमिक चिप उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों की पहचान के माध्यम से देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन और अन्य पहलों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पिछले दशक में दूध उत्पादन में 63.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 239.3 मिलियन टन हो गई है। इस अवधि के दौरान, सभी पशु श्रेणियों, जिसमें डिस्क्रिप्ट, नॉन डिस्क्रिप्ट गोपशु, भैंस और संकर नस्ल गोपशु शामिल हैं, में 26.35% की वृद्धि हुई, जबकि देशी और नॉन डिस्क्रिप्ट गोपशुओं की उत्पादकता में 39.37% की वृद्धि देखी गई, जिनकी उत्पादकता वर्ष 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 927 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1292 किलोग्राम हो गई। इसी अवधि के दौरान, देशी गोपशुओं से दूध उत्पादन में 69.27% की वृद्धि हुई, जो 29.48 मिलियन टन से बढ़कर 49.90 मिलियन टन हो गया, और भैंस के दूध का उत्पादन 39.73% बढ़कर 74.70 मिलियन टन से 104.38 मिलियन टन हो गया। इसके अतिरिक्त, दुधारू पशुओं की संख्या में 30.46% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2014-15 के 85.66 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 111.76 मिलियन हो गई।

(ग) देशी नस्लों से प्राप्त मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई पहलें निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम): पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने एनडीडीबी के साथ मिलकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एनडीएलएम के तहत "भारत पशुधन" नामक डेटाबेस विकसित किया है। यह डेटाबेस प्रत्येक पशु को आवंटित एक विशिष्ट 12-अंकीय टैग आईडी का उपयोग करके विकसित किया गया है। डेटाबेस पर 34.20 करोड़ पशुओं को पंजीकृत किया जा चुका है। सभी हितधारक एक ओपन सोर्स एपीआई आधारित आर्किटेक्चर के माध्यम से एक ही डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। एनडीएलएम पशुधन की ट्रेसबिलिटी बनाए रखने की दिशा में एक पहल है, जिससे देशी नस्लों से प्राप्त मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है।

(ii) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम: यह योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने तथा डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ शुरू की गई हैं। यह योजना देश में रोग मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में विभाग की एक पहल है, जिससे पशुधन उत्पादों के निर्यात के लिए बाज़ार के अवसर पैदा होते हैं।

(iii) मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों के निर्यात संवर्धन और प्रमाणन का कार्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एपीडा और ईआईसी को सौंपा गया है। विभाग ने संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी), तकनीकी कार्य समूह आदि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से विभिन्न देशों के समक्ष भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यात और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है।

****

अनुबंध-I

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वित्तपोषित अवसरंचना परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वीर्य केन्द्रों की संख्या	सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधाओं की संख्या	इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रयोगशालाओं की संख्या	गोकुल ग्रामों की संख्या*	एनएआईपी के तहत देशी नस्ल सहित कवर किए गए पशुओं की संख्या (लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	3	-	2	1	67.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	1	0.03
3.	असम	1	-	-	-	15.59
4.	बिहार	1	-	2	1	34.08
5.	छत्तीसगढ	-	-	1	1	17.61
6.	गोवा	-	-	-	-	0.22
7.	गुजरात	6	1	2	1	53.05
8.	हरियाणा	3	-	1	1	5.98
9.	हिमाचल प्रदेश	2	-	1	1	17.26
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1	-	-	-	22.10
11.	झारखंड	-	-	-	-	24.46
12.	कर्नाटक	6	-	-	1	77.20
13.	केरल	3	-	1	-	1.6**
14.	मध्य प्रदेश	1	1	1	1	71.64
15.	महाराष्ट्र	4	-	3	2	51.71
16.	मणिपुर	-	-	-	-	0.23
17.	मेघालय	-	-	-	-	0.49
18.	मिजोरम	-	-	-	-	0.08
19.	नागालैंड	-	-	-	-	0.34
20.	उड़ीसा	-	-	-	-	46.53
21.	पंजाब	1	-	2	1	11.95
22.	राजस्थान	2	-	-	-	54.79
23.	सिक्किम	-	-	-	-	0.38
24.	तमिलनाडु	5	1	2	-	46.57
25.	तेलंगाना	2	-	1	1	30.08
26.	त्रिपुरा	-	-	-	-	2.13
27.	उत्तर प्रदेश	2	1	1	3	125.42
28.	उत्तराखंड	1	1	1	-	13.79
29.	पश्चिम बंगाल	3	-	1	-	48.37
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	
31.	चंडीगढ़	-	-	-	-	
32.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	
33.	दिल्ली (एनसीटी)	-	-	-	-	
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	
35.	लद्दाख	-	-	-	-	0.06
36.	पुदुचेरी	-	-	-	-	

नोट: * संशोधित पुनर्संरेखित राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के तहत कार्यकलाप बंद कर दिए गए हैं
**संतति परीक्षण के तहत कृत्रिम गर्भाधान किया गया